

4. उद्योग विभाग के अधीन लोक उपक्रम यथा बियाडा, आयडा, बिसिको, बी०एस०आई०डी०सी०, बी०एस०एफ०सी०, वस्त्र निगम, औषधि एवं रसायन निगम, बिहार राज्य खाद्यांग बोर्ड, पटना एवं विभाग का अन्य निगम/बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

अतः उपर्युक्त के आलोक में उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय/लोक उपक्रम के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय जिस जिला में अवस्थित है, को उस जिला के जिला उद्योग केन्द्र में पदबल सहित स्थानान्तरित किया जाता है। संबंधित जिला के महाप्रबंधक इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय जो निजी परिसर में मासिक किसाये पर चल रहे हैं वे सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र ने कार्यालय परिसर में पदबल के साथ स्थानान्तरित होते हुए (हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अररिया, बौंका एवं केमूर के कार्यालय को छोड़कर) निजी परिसर को छोड़ देंगे। सरकारी परिसर में चल रहे क्षेत्रीय कार्यालय परिसर खाली कर बियाडा को सौंप देंगे। यही व्यवस्था विभागीय लोक उपक्रमों के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी लागू होंगे।

स्थानान्तरित क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी (लोक उपक्रम को छोड़कर) का वेतनादि की निकासी पूर्ववत होगी परन्तु संबंधित जिला के महाप्रबंधक इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-

(अनिल कुमार झा)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

3(स०)/उ०स्था०(विविध)०१, १९

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखालार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: ३४६

प्रतिलिपि:-सभी प्रम इलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषांगर पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बियाडा/आयडा/बिसिको/बी०एस०आई०डी०सी०/बि०रा० वित्तीय निगम/वस्त्र निगम/औषधि एवं रसायन निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बि०रा० खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उद्योग निदेशक/निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक तकनीकी विकास/निदेशक खाद्य प्रसास्करण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपर्युक्त अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के आलोक में यथोचित अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि संकल्प में निहित निदेश के आलोक में क्षेत्रीय स्थानान्तरण सहित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

सरकार के अवर सचिव  
१६.०१.१९

ज्ञापांक:-

४२९

संचिका संख्या— ह०रे०/स्था० विविध— ०३/१९

प्रतिलिपि:- हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आईटी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें हेतु प्रेषित।

२०२१  
निदेशक

हस्तकरघा एवं रेशम,  
बिहार, पटना।

## बिहार सरकार

## उद्योग विभाग

### संकल्प

**विभिन्न जिला में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय एवं विभाग के अधीन निगम/बोर्ड के प्रमण्डलीय एवं इससे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को पदबल सहित जिला उद्योग केन्द्र के नियंत्रणाधीन करने के संबंध में।**

**प्रमण्डलीय स्तर पर हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, तकनीकी विकास निदेशालय**

प्राचीन विभाग के अधीन निगम, बोर्ड के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदों का उपयोग समुचित रूप से नहीं होने के कारण कार्यहित में यह महसुस किया गया कि इन सब प्रमण्डलीय स्तर के पदों का सम्पूर्ण नियंत्रण संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सौंप दी जाय, जिससे कि जिला के विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा करने में सहुलियत होगी। महाप्रबंधक को अतिरिक्त पदबल उपलब्ध कराने से कार्य क्षमता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा जिला एवं विभागीय स्तर पर किसी भी योजना की सूचना समेकित रूप से देने में महाप्रबंधक अपने आप को सक्षम पायेगे। ये कार्यालय निम्नवत हैं:-

2. हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अंतर्गत कई कार्यालय हैं। जैसे— पटना जिला में सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) का कार्यालय/केन्द्रीय डिजाइन सेंटर, राजेन्द्र नगर/ हस्तकरघा सुदृढ़ीकरण की योजना, पटना, मुजफ्फरपुर जिला में सहायक उद्योग निदेशक(रेशम) का कार्यालय/मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, मुशहरी/उप विकास पदाधिकारी, हस्तकरघा सघन विकास योजना/भागलपुर जिला में सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) का कार्यालय/मलवरी प्रसार उप केन्द्र, भागलपुर/मलवरी द्वितीय प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अम्बादार एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय/पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र/बांका जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र/तसर अग्र परियोजना केन्द्र, शयम बाजार/तसर अग्र परियोजना केन्द्र इनारावरण, कटोरिया/तसर क्रय विक्रय संगठन, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, अमरपुर, बौंक, किशनगंज जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, ढेकसार/मलवरी रीलिंग प्रशिक्षण वह प्रदर्शन केन्द्र/गया जिला में उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र) एवं अधीनस्थ कार्यालय, बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, थाकन्द/जहानाबाद/औरंगाबाद/पूर्णिया जिला में सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) का कार्यालय/वैशाली जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, रानीपोखर/सिवान जिला में जलतरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, फरीदपुर/पश्चिम घम्पारण जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, कुमारबाग/सहरसा जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र/सीतामढी जिला में मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, राघोपुर, बखरी/कटिहार जिला में मलवरी फार्म, रोशना/अररिया सपौल एवं मधेपुरा जिला में मलवरी प्रसार उप केन्द्र/नवादा जिला में तसर अग्र परियोजना केन्द्र, कौआकोल/कैमुर जिला में तसर अग्र परियोजना केन्द्र, अघोरा/मुंगेर जिला में तसर अग्र परियोजना केन्द्र, गंगटामोर/नालन्दा जिला में बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, नेपुरा, सिलाव/बेगुसराय जिला में अंडी रेशम फार्म/दरभंगा जिला में उप विकास पदाधिकारी, हस्तकरघा सघन योजना की योजना इत्यादि।

3. तकनीकी विकास नेदेशालय के अधीन पटना जिला में सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण)/भागलपुर जिला में सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण) तथा मुजफ्फरपुर जिला में सहायक उद्योग निदेशक (कोटि नियंत्रण) का कार्यालय है।